प्रेस नोट दिनांक 05.09.223

(1). आज दिनांक 05.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 05.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). आज दिनांक 05.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड में महोदय द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया । बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । महोदय द्वारा मैस का निरीक्षण कर भोजन चख कर भोजन की गुणवत्ता चैक की गयी तत्पश्चात महोदय द्वारा कैंटीन, क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन श्री शिवनारायण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 अभियुक्तों के कब्जे से 32 लीटर कच्ची व 38 क्वार्टर देशी शराब बरामद की ।

(i). उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त भोलाराम पुत्र भोंदू प्रसाद निवासी तीरधुमाऊ सुर्की थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 12 लीटर कच्ची शराब शराब बनाने के उपकरण एवं 40 किलो लहन के साथ गिरफ्तार किया गया, बरामदशुदा लहन को मौके पर नष्ट किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(ii). उ0नि0 श्री राजेश राय थाना सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अश्विनी पुत्र मोतीलाल निवासी अरछा बरेठी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

(iii). उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कामता निषाद पुत्र स्व0 विजय बहादुर निवासी अरछा बरेठी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

(iv). उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता पकुई पत्नी चुनकू निवासी सकरौली थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(v). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त धनराज सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह निवासी उड़की थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
(क). उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा मु0नं0 68/2020 धारा 03/08 गोबध अधिनियन के वारण्टी अभियुक्त खमोश पुत्र राजबहादुर निवासी बूढ़ा सेमरवार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी संजय पाल

(ख). वरि0उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 149/2023 धारा 304 भादवि के वांछित अभियुक्त रशीद खां पुत्र रज्जू खां निवासी कस्बा व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय थाना पहाड़ी
2. आरक्षी सूर्यकान्त

(6). जनसुनवाई पोर्टल पर जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु रिपोर्ट की समीक्षा शासन स्तर पर प्रतिदिन की जाती है। माह अगस्त 2023 में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों एवं उनके गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा में जनपद चित्रकूट पुलिस को उ0प्र0 के सभी 75 जिलों में से प्रथम स्थान प्रदान किया गया है।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी आईजीआरएस, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय एवं निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार यादव प्रभारी आईजीआरएस द्वारा उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों-निर्देशों का पालन कराते हुये कड़ी मेहनत की गयी। माह अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी/जनसेवा संपूर्ण समाधान दिवस/थाना दिवस में जनपद पुलिस द्वारा सभी संदर्भो का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। आईजीआरएस शाखा में नियुक्त आरक्षी मानवेन्द्र सिंह एवं महिला आरक्षी अनीशा बानो,महिला आरक्षी मीरा यादव ने तथा जनपद के समस्त थानों/क्षेत्राधिकारी कार्यालयों में आईजीआरएस पोर्टल का कार्य देख रहे पुलिस कर्मियों ने कड़ी मेहनत कर सभी संदर्भों की ऑनलाईन फीडिंग की गयी एवं प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी जिस कारण से जनपद चित्रकूट को जनसुनवाई के मामलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सभी संदर्भों की ऑनलाईन फीडिंग एवं प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में जनपद चित्रकूट के सभी 12 थानों को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। प्राप्त संदर्भों में असंतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत मात्र 0.25% है।

(7). आज दिनाँक 05.09.023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में वारण्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 98/023 धारा 379/41 भादवि0 के वाँछित अभियुक्तों 1.बजाहत अली पुत्र सराफत अली 2. मो0 अदनान पुत्र बजाहत अली निवासीगण कोट थाना खखेरु जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार
2.आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार
3.आरक्षी महेन्द्र कुमार